कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in ☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0बजट–25/2020– 76 **दिनांक : 03/2/2021**

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन संरक्षक एवं राज्य वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची/
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा/मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (अन्य व्यय) के अन्तर्गत रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समुह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का कार्य, सीसल रेशा का उत्पादन कार्य तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में लाह बगान कुन्दरी में कराये गये कार्यों के फलस्वरुप सृजित देन–दारी के भुगतान हेतु कुल **रू0 112.744 लाख (एक करोड़ बारह लाख चौहत्तर हजार चार सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–36/2020–23/स्वी0 व0प0 दिनांक 19.01.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट–36/2020–36/आ0 व0प0 दिनांक 21.01.2021 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष– 01 वानिकी, लघु शीर्ष– 102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष– 09 "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रू0 112.744 लाख (एक करोड़ बारह लाख चौहत्तर हजार चार सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601102090103	83.976
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601102090323	26.320
प्रशिक्षण मद	19S240601102090335	2.448
कुल :–		**112.744**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक–1 (क) से 1(ग)** पर वर्णित प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्य दर **अनुलग्नक–2(क) एवं 2(ख)** पर तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या– 19S240601102090103, 19S240601102090323 एवं 19S240601102090335 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान अन्तर्गत शामिल जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

5. ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं, उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहित के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे।

10. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :–

(i) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(ii) नियमित रुप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं बैठकों का आयोजन Offline या online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी किया जाय।

(iv) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तद्नुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(v) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछ्डा वर्ग कल्यान विभाग/ग्रामीण विकास विभाग– NRLM, झारखण्ड के साथ समन्वय किया जाय। NRLM के बिक्री केन्द्रों की मदद PALAS से ली जाय, ताकि समेकित बाजार के कारण उत्पाद की पहुँच तथा माँग एवं मूल्य सही एवं समुचित मिल सके।

(vi) दो या दो से अधिक स्त्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रुप से अंकित रखा जायेगा।

(vii) विभिन्न आय स्त्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का ब्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्पटाकपंजी इत्यादि तद्नुसार सत्यापित एवं update रहे।

11. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ–साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :–

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020–21 से नियमित रुप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

12. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकरियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का का स्थूल स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हेतु निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैर्टन पर तैयार करायें।

(VI) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्त्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royality के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेगें तथा ससमय return जमा करेगें।

(IX) कंडिका– VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

(X) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

13. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र–संयत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र–संयत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

14. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ–जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरन्त देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

17. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

18. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर

किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–सह–ज्ञापांक–686, दिनांक–05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरुप कार्रवाई की जायेगी।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

20. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड का पत्रांक–2341 दिनांक–04.12.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय–समय पर निर्गत योजना–सह–वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–25/2020–** 76 दिनांक– 03/2/2021

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ हजारीबाग/ पलामू/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/ गिरिडीह/ हजारीबाग/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–25/2020–** 76 दिनांक– 03/2/2021

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, धनबाद/ गिरिडीह/ हजारीबाग/ लातेहार/ गढ़वा/ पलामू/ डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक– 1 (क)

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समुह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का प्रथम वर्ष कार्य का प्रमण्डलवार उप–आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 295.80 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या	वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति)	वित्तीय वर्ष 2020–21 प्रथम वर्ष			
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
				5.810	**4.175**	**0.510**	**10.495**
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**	**vii**	**viii**
1	धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद	125	12500	5.810	4.175	0.510	10.495
2	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह	125	12500	5.810	4.175	0.510	10.495
3	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	125	12500	5.810	4.175	0.510	10.495
4	लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार	125	12500	5.810	4.175	0.510	10.495
5	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	100	10000	4.648	3.340	0.408	8.396
कुल योग :–		**600**	**60000**	**27.888**	**20.040**	**2.448**	**50.376**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक– 1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत सीसल रेशा का उत्पादन एक वर्षीय कार्य का उप–आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 295.80, प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	भौतिक लक्ष्य (मे0टन में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			4984230.00	328000.00	5312230.00
i	ii	iv	v	vi	viii
1	वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची	50	49.842	3.280	53.122
योग :–		50	49.842	3.280	53.122

अनुलग्नक– 1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में लाह बगान कुन्दरी में कराये गये कार्यों के फलस्वरुप सृजित देन–दारी के भुगतान हेतु उप–आवंटित वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	वित्तीय लक्ष्य		
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v
1	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	6.246	3.000	9.246
योग :–		6.246	3.000	9.246
कुल योग (क+ख) :–		56.088	6.280	62.368

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

रंगिनी लाह उत्पादन हेतु संशोधित कार्य दर तालिका

रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना की कार्य दर

लाह पोषक प्रजाति पलाश के वृक्षों की संख्या–12500 प्रति प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार, कुल 1250 लाभुक परिवार)

(रू० लाख में)

क्र0 सं०	कार्य का विवरणी	दर	प्रथम वर्ष 2020–21 मजदूरी प्रति मानव दिवस 295.80					द्वितीय वर्ष 2021–22 मजदूरी प्रति मानव दिवस 340.00					तृतीय वर्ष 2022–23 मजदूरी प्रति मानव दिवस 391.00					सकल योग	अभ्युक्ति
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय		
1	वृक्षो का चिहांकन	रू० 2.98 प्रति वृक्ष	12500 वृक्ष	0.373	0.000	0.000	**0.373**		0.000	0.000	0.000	**0.000**		0.000	0.000	0.000	**0.000**	**0.373**	प्रति लाभुक परिवार 10 पलाश के वृक्षों का चिन्हांकन किया जाएगा जिसे 5–5 वृक्षों के दो सेट में बाँटा जाएगा। प्रथम वर्ष में सेट–1 एवं द्वितीय वर्ष में सेट –2 के वृक्षों की कटाई–छटाई फरवरी/मार्च माह में की जाएगी।
2	प्रशिक्षण																		
	(क) हितग्राही परिवारों के एक–एक सदस्य को समूहों में IINRG के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण	100 रू0 प्रति परिवार प्रति वर्ष			1.000	0.250	**1.250**			1.000	0.250	**1.250**			1.000	0.250	**1.250**	**3.750**	
	(ख) लाह पर्यवेक्षक एवं 12 CRP (Community Resource Person) एक–एक शिक्षित सदस्य /प्रति 100 परिवार को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान, नामकुम, राँची में एक सप्ताह का प्रशिक्षण	2000 रू0 प्रति प्रशिक्षणार्थी				0.260	**0.260**					**0.000**					**0.000**	**0.260**	
3	टूलकीट एवं अन्य सामग्री	रू० 1775/– प्रति टूलकीट; 100 वृक्षों पर एक कीट			2.219		**2.219**					**0.000**					**0.000**	**2.219**	प्रथम वर्ष फरवरी/मार्च में सेट–1 के 6250 वृक्षों की कटाई–छटाई (50 वृक्ष प्रति 10 लाभुक परिवार) एवं द्वितीय वर्ष में सेट–2 के वृक्षों की कटाई–छटाई की जाएगी।
4	वृक्षों की कटाई–छँटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष	6250 वृक्ष	3.698			**3.698**	6250 वृक्ष	4.250			**4.250**					**0.000**	**7.948**	
5	बीहन लाह का क्रय	700 ग्राम से 1.00 कि0ग्रा0 प्रति वृक्ष; रू० 200.00 प्रति कि0ग्रा०					**0.000**	6250 वृक्ष		12.500		**12.500**	गत वर्ष उत्पादित बीहन से 6250 वृक्ष				**0.000**	**12.500**	बीहन लाह का क्रय निविदा के माध्यम से किया जायेगा।
6	संचारण व्यय	1 मानव दिवस प्रति 20 वृक्ष					**0.000**	6250 वृक्ष	1.063			**1.063**	6250 वृक्ष	1.222			**1.222**	**2.284**	क्रय किए गए बीहन लाह से द्वितीय वर्ष के अक्टूबर/नवंबर माह में बीहन लाह का संचारण सेट–1 के वृक्षों पर किया जाएगा तथा तृतीय वर्ष के अक्टूबर/नवंबर माह में सेट–2 के वृक्षों पर संचारण किया जाएगा जिसके लिए सेट–1 के वृक्षों से प्राप्त बीहन लाह का उपयोग किया जाएगा।
7	फसल संरक्षण पर व्यय	30 रू० प्रति वृक्ष (कीटनाशक इत्यादि)					**0.000**	6250 वृक्ष		1.875		**1.875**	6250 वृक्ष		1.875		**1.875**	**3.750**	

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	दर	प्रथम वर्ष 2020–21 मजदूरी प्रति मानव दिवस 295.80					द्वितीय वर्ष 2021–22 मजदूरी प्रति मानव दिवस 340.00					तृतीय वर्ष 2022–23 मजदूरी प्रति मानव दिवस 391.00					सकल योग	अभ्युक्ति
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय		
8	कीटनाश छिड़काव हेतु रॉकिंग स्प्रे मशीन	1 मशीन प्रति 10 लाभुक परिवार @ 6000रू0								7.500		**7.500**					**0.000**	**7.500**	
9	फुन्की का स्केपिंग एवं संग्रहण	4 मानव दिवस प्रति 100 वृक्ष					**0.000**	6250 वृक्ष	0.850			**0.850**	6250 वृक्ष	0.978			**0.978**	**1.828**	
10	तकनिकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाह पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित)				0.250		**0.250**			0.250		**0.250**		0.000	0.250		**0.250**	**0.750**	
11	लाह पर्यवेक्षकों को मानदेय	1 पर्यवेक्षक @ Rs. 5000/ पर्यवेक्षक प्रति माह	1 पर्यवेक्षक (6 माह)	0.300	0.000	0.000	**0.300**	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	**0.600**	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	**0.600**	**1.500**	
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 2000रू0 प्रति माह	12 CRP (6 माह)	1.440			**1.440**	12 CRP (12 माह)	2.880			**2.880**	12 CRP (12 माह)	2.880			**2.880**	**7.200**	
13	अन्य आकस्मिक व्यय (बोर्ड / प्लास्टिक रस्सी, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि)			0.000	0.500		**0.500**			0.500		**0.500**			0.500		**0.500**	**1.500**	
	कुल योग–			***5.810***	***3.969***	***0.510***	***10.289***		***9.643***	***23.625***	***0.250***	***33.518***		***5.679***	***3.625***	***0.250***	***9.554***	***53.361***	
14	**Concurrent Monitoring and Evaluation (Inclunding MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)**	**.@ 2 % of Project cost**			0.206		**0.206**			0.670		**0.670**			0.191		**0.191**	**1.067**	
	सकल योग–			**5.810**	**4.175**	**0.510**	**10.495**		**9.643**	**24.295**	**0.250**	**34.188**		**5.679**	**3.816**	**0.250**	**9.745**	**54.428**	

वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के लिए मजदूरी दर श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर 257.29 रुपये प्रति मानव दिवस के आधार पर योजना का प्राक्कलन तैयार किया जाएगा।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

7

D:\2020-21\Development\Sub-Allotment\MFP\Adv Work\Rate Rangin

अनुलग्नक–2(ख)

योजना का नामः– लघु वन पदार्थों का उन्नयन योजना
50 मे0 टन सीसल रेशा का उत्पादन वित्तीय वर्ष–2020–21 के लिए।

मजदूरी दर रू0– 295.80/– प्रति मानव दिवस

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	आपूर्ति एवं सामग्री (रू0 में)	कुल (रू0 में)
1	2	3	4	5	6
1	1000 कि0 ग्राम शुष्क रेशा हेतु 33300 कि0 हरी पतियों का संग्रहण	143	2114970.00	0.00	2114970.00
2	33300 कि0 ग्राम हरे पत्तों को साईट प्लान्ट तक परिवहन व्यय	24	354960.00	0.00	354960.00
3	33300 कि0 ग्राम हरे पतियों का डीकोटेशन करने का कार्य	76	1124040.00	0.00	1124040.00
4	33300 कि0 ग्राम हरे पतियों से प्राप्त रेशा धुलाई सुखाने का कार्य	47	695130.00	0.00	695130.00
5	शुष्क सीसल रेशा का वजन करना बण्डल बनाना तथा भण्डारण कार्य	47	695130.00	0.00	695130.00
6	डीजल, मोबिल, ग्रीस एवं मरम्मति इत्यादि पर व्यय	0	0.00	40000.00	40000.00
7	डीजल 50 दिन x 16 x 4.5 ली0 प्रति घंटा = 3600 लीटर औसत @ 80/- = Rs. 2,88,000.00 (50 मे0 टन के लिये औसत) = Rs. 2,88,000.00	0	0.00	288000.00	288000.00
	योगः–	**337**	**4984230.00**	**328000.00**	**5312230.00**

(तिरप्पन लाख बारह हजार दो सौ तीस रूपये मात्र)

अपर प्रधान मुख्य ~~वन~~ संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-25/2020/76 दिनांक - 03-Feb-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	74608	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	581,000.00 रुपये पॉच लाख इक्कयासी हजार
2	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	74611	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	581,000.00 रुपये पॉच लाख इक्कयासी हजार

योग: 1,162,000.00

क्रमिक योग: रुपये ग्यारह लाख बासठ हजार

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

10.93.86.200 RANCH

Run Date: 3/2/2021

पत्र संख्या - 01/YB-25/2020/76 दिनांक - 03-Feb-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	74615	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	581,000.00 रुपये पॉच लाख इक्कयासी हजार
4	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	74619	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR	581,000.00 रुपये पॉच लाख इक्कयासी हजार
5	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	74621	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	464,800.00 रुपये चार लाख चौसठ हजार आठ सौ

योग: 1,626,800.00

क्रमिक योग: रुपये सत्ताइस लाख अठयासी हजार आठ सौ 2,788,800.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

 10.93.86.200 RANCH Run Date: 3/2/2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	74623	PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	624,600.00 रुपये छः लाख चौइस हजार छः सौ
7	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	74625	DRNFWL032 RAJIV RANJAN CCF & STATE SILVICULTURIST JH	4,984,200.00 रुपये उनचास लाख चौरासी हजार दो सौ
8	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	74628	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	417,500.00 रुपये चार लाख स त्र ह हजार पॉच सौ

योग: 6,026,300.00

क्रमिक योग: रुपये अठयासी लाख पंद्रह हजार एक सौ 8,815,100.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCH

10.93.95.200

Run Date: 3/2/2021

पत्र संख्या - 01/YB-25/2020/76 दिनांक - 03-Feb-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
9	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	74630	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	417,500.00 रुपये चार लाख स त्र ह हजार पॉच सौ
10	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	74631	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	417,500.00 रुपये चार लाख स त्र ह हजार पॉच सौ
11	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	74632	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR	417,500.00 रुपये चार लाख स त्र ह हजार पॉच सौ

योग: 1,252,500.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड सड़सठ हजार छः सौ 10,067,600.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCH

Run Date: 3/2/2021

पत्र संख्या - 01/YB-25/2020/76 दिनांक - 03-Feb-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	74633	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	334,000.00 रुपये तीन लाख चौतीस हजार
13	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	74636	PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR.OREST.DIV.	300,000.00 रुपये तीन लाख
14	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	74639	DRNFWL032 RAJIV RANJAN CCF & STATE SILVICULTURIST JH	328,000.00 रुपये तीन लाख अठाइस हजार

योग: 962,000.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड दस लाख उन्तीस हजार छः सौ 11,029,600.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

10.93.85.200 RANCH

Run Date: 3/2/2021

पत्र संख्या - 01/YB-25/2020/76 दिनांक - 03-Feb-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
15	S 19 240601102090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	74642	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	51,000.00 रुपये इकावन हजार
16	S 19 240601102090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	74645	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	51,000.00 रुपये इकावन हजार
17	S 19 240601102090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	74647	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	51,000.00 रुपये इकावन हजार

योग: 153,000.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड ग्यारह लाख बयासी हजार छः सौ 11,182,600.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCH

Run Date: 3/2/2021

पत्र संख्या - 01/YB-25/2020/76

दिनांक - 03-Feb-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
18	S 19 240601102090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	74650	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR	51,000.00 रुपये इकावन हजार
19	S 19 240601102090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	74652	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	40,800.00 रुपये चालीस हजार आठ सौ

योग: 91,800.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड बारह लाख चौहत्तर हजार चार सौ 11,274,400.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

10.93.85.200

Run Date: 3/2/2021